

अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के लेटर हेड पर जारी किया जाता है।

अनुभव प्रमाण पत्र

मे. अशुतलाल 21/39 (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम),
ग्राम पंचायत/सरपंच- ग्राम पंचायत रीजपुर निवास

अंकुल 21/39 प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती
रीजपुर राजप्रतन (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती

आधार संख्या 8.6.8.2.5.1.8.2.5.6.4.8 (आधार संख्या) है, ने हमारी
ग्राम पंचायत रीजपुर में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/मरम्मत
और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

ने प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये
जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक: 14/01/2026

अशुतलाल 21/39
हस्ताक्षर और मुहर
ग्राम प्रधान/सरपंच का
(ग्राम पंचायत)